न्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 220/2023 निर्णय दिनांक :–19.11.2024

उनवानी दावा:–

प्रकाशचंद्र पुत्र नाथूलाल जाति खटीक निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–वादी–

बनाम

1. श्योराज पुत्र लालू जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. बजरंगा पुत्र लालू जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. धन्नी पुत्री लालू जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवतो जिला टोंक (राज.)
4. बाबू पुत्री लालू जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. तहसीलदार साहब तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री शिवजीराम डिडवाडिया
अधिवक्ता वादी

श्री भगवान सिंह सोलंकी
श्री आलोक कुमार शर्मा
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5

दावा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश प्राथमिक निर्णय व डिक्री पेश हुआ । वाद के तथ्य इस प्रकार है वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 4 की सामलाती आराजीयात खाता संख्या 200 खसरा नम्बर 1757 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम नगर में स्थित हैं। विवादित आराजीयात में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 का 5/6 हिस्सा हैं। इनके मध्य आज तक विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। उक्त भूमि सामलाती ही उपयोग उपभोग में चली आ रही है और बिना विधिवत् विभाजन के प्रत्येक इंच भूमि पर सभी सहकृषक का कब्जा रहता हैं। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 उक्त भूमि में विधिवत् तकासमा के एवं वादी की सहमति के बिना मौके पर हिस्सा निर्धारित हुए बिना ही उक्त भूमि में प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 पुख्ता निर्माण कार्य करना चाहते हैं। जिसका उनको कोई हक व अधिकार नहीं हैं। क्योंकि अभी प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 का हिस्सा उक्त आराजीयात पर तय नहीं हुआ हैं। विवादित भूमि अभी आवासीय या वाणिज्यक रूप में विधिक तौर पर सहपरिवर्तन नहीं हुई हैं। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 इसमें नाजायज रूप से वादी को उनके हिस्से से बेदखल करने व हमेशा–हमेशा के लिए वंचित रखने के लिए अवैध रूप से उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने, निर्माण कार्य करने व अन्य को अंतरण करने पर आमादा हैं। जिससे प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 उक्त कृत्य को रोका जाना आवश्यक व न्यायसंगत हैं। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 को हमेशा के लिए जरिए – स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना आवश्यक हैं कि वे स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर के उक्त विवादित आराजीयात में विधिवत् विभाजन नियमानुसार संपरिवर्तन हुए बिना आराजी के किसी भी भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य नहीं करे, खुर्द–बुर्द नहीं करे आदि नहीं करे। अन्यथा वादी को अपार अपरिसीमित हानि होगी, मौके पर अनावश्यक झगड़ें होगें, मुकदमेंबाजी बढ़ेगी, मौके पर खून–खराब हो जायेगा। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 को वादी ने विभाजन के लिए कई बार कहा किन्तु उन्होनें कोई सुनवाई नहीं की और नाजायज तरीका अपनाकर उक्त कृत्य करना चाहते हैं। वादी का 1/6 हिस्सा तकासमा करवाने व मौके पर पृथक से अलग से काबिज होने के अधिकारी हैं, इर लिए दावा डिक्री किया जाना आवश्यक हैं। बिनाय दावा सात दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 में विवादित भूमि में विधिवत् विभाजन को बिना व नियमानुसार संपरिवर्तन करवाये

19.11.2024

Scanned with OKEN Scanner

बिना संयुक्त खातेदारी की उक्त भूमि पर पुख्ता निर्माण करवाने पर आमादा हैं तथा मना करने पर विवाद पैदा करने गये हैं जो लगातार जारी हैं। भूमि जमाबंदी में 0.06है. भूमि चाह दर्ज हैं, तो उस चाह को सामलाती रखते हुए शेष उसके आस–पास स्थित भूमि को सभी सहकृषकों में हिस्से के अनुसार विभाजित करवाई जाना आवश्यक हैं। विवादित राजीयात श्रीमान् के क्षेत्राधिकार न स्थित होने के कारण उक्त वाद पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं।

प्रतिवादीगण नं. 5 लेण्ड हॉल्डर होने से उक्त वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया हैं। दावा अन्तर्गत धारा 188, 53, 92ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत उचित कोर्ट व अंदर मियाद पेश हैं तथा वादी द्वारा यह प्रथम वाद पत्र पेश किया जा रहा हैं। वादी की अधियाचना हैं कि दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे कि

(अ) आराजी खसरा नम्बर 1757 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम नगर तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान का व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 1757 रकबा 0.06 है0 का विधिवत् तकासमा करवाया जावे।

(ब) प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 को हमेशा के लिए जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना आवश्यक हैं कि वे स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या किसी के माध्यम उक्त वर्णित आराजीयात भूमि का विधिवत् विभाजन व निमयानुसार संपरिवर्तन हुए बिना किसी आराजी के किसी भी भू–भाग पर नाजायज कब्जे में पुख्ता निर्माण कार्य नहीं करे, भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करे ना ही किसी प्रकार से भूमि परिवर्तन कर किसी अन्य को अंतरण नहीं करे एवं पाबंध रहे।

(स) यह कि खर्चा मुकदमा व अन्य जो सहायता वादी के हित में हो दिलवाई जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सिंह सोलंकी ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– वाद पत्र के चरण नं.1 में विवादित आराजिया ग्राम नगर फोर्ट तहसील देवली में होना स्वीकार है। शेष इबारत गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 2 में विवादित जाराजीयात मे वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 का 5/6 हिस्सा होना स्वीकार है शेष इबारत गलत है अस्वीकार है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि 1/6 में पक्का मकान निर्माण कर रखा है तथा उसमे वह स्वयं परिवार सहित निवास कर रहा है। ऐसी स्थिति में शेष भूमि 5/6 से वादी का किसी तरह का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना ही उसका मोके पर किसी तरह का कोई कब्जा काश्त है। एसी स्थिति में दावा खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का चरण नं. 3 गलत है अस्वीकार है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर मकान तामीरात कर परिवार सहित निवास कर रहा है शेष भूमि से वादी का कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि के चारों ओर जानवरों से सुरक्षा के लिए चारदीवारी बना रखी है इसके अलावा अन्य कोई निर्माण नहीं कर रखा है। वादी ने अपनी भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया है और वह झानबूझ कर प्रतिवादीगण को उनकी भूमि में काश्त करने में मजामहत पैदा करते है तथा प्रतिवादीगण को नाजायज रूप परेशान करता है और इसी उद्देश्य से उक्त वाद गलत तथ्यों पर पेश किया है जो खारिज योग्य है। वाद पत्र का चरण नं. 4 में विवादित आराजियात कृषि भूमि से आवासीय अथवा वाणिज्यक नहीं है किन्तु फिर भी वादी ने बिना किसी संपरिर्वतन के उनके हिस्से की भूमि में गलत रूप से मकान तामीर कर लिया है जिसको हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया है बल्कि फसल सुरक्षा के लिए चार दीवारी बना रखी है प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्से की भूमि को विक्रय अथवा अन्तरण नहीं कर रहे है यद्यपि उन्हे अपने हिस्से की भूमि

9.11.2024

को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण को अपने खातेदारी व हिस्से की आराजी बाबत पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। वाद मंत्र का चरणा नं0 5 गलत है अस्वीकार है। प्रतिवादीगण अपने खातेदारी व कब्जे की भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहे है बल्कि वादी ने अपने हिस्सो की भूमि पर तामीरात करके मकान बिना स्वीकृति व बिना परिर्वतन करवाये किया है जिसको हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने से पाया किया जाना न्यायोचित नहीं है। दावा खारिज होने योग्य हैं। वाद पत्र का चरण नं. 6 गलत है अस्वीकार है। प्रतिवादीगण एवं वादी की आराजीयात का विभाजन कर दिया जावे तथा उसके हिस्से में बनाये गये मकान की भूमि उसे नाप कर दी जाये तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में अलग से अकिंत की जावे । वाद पत्र का चरण नं. 7 गलत है अस्वीकार है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुजा है ऐसी स्थिति में वाद वादी खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का चरणा नं. 8 गलत है, अस्वीकार है। खसरा नं0 1757 में स्थित चाह से वादी का किसी तरह ते कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि उक्त नम्बरान में स्थित भूमि में से 0.01 है0 भूमि ही प्रतिवादीगण द्वारा उसे दी गई भी जिस पर उसने अपना मकान तामीर कर रखा है। ऐसी स्थिति में उक्त 0.01 है0 के अलावा अन्य भूमि से व चाह से उसका कोई सम्बध नहीं है और ना ही उसमें वह किसी प्रकार का कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद पत्र का चरण नं. 9, 10, 11 कानूनी है जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में चाही गई प्रार्थना अ, ब, स गलत है अस्वीकार है। वाद वादी मय हर्जे खर्चे के खारिज होने योग्य है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाने की कृपा करे ।

पत्रावली पर तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

तनकीयात बिन्दूः--

1. **आया वादी विवादित आराजी ख. नं. 1757 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम नगरफोर्ट स्थित आराजी का तकासमा करवाने के हकदार है तथा वादी की खातेदारी आराजी पर मजामहत नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण 1 से 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के हकदार है?**
2. **आया प्रतिवादीगण प्रस्तुत वाद न्यायोचित नहीं है?**

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी पी. डब्ल्यू–1 वादी प्रकाश चन्द पुत्र नाथूलाल जाति खटीक उम्र 42 वर्ष निवासी नगरफोर्ट के बयान/गवाह करवाये जो कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है। वादी द्वारा और साक्ष्य/बयान/गवाह नहीं करवाना जाहिर किये जाने से साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू–1 सूरजमल पुत्र जीता कीर उम्र 55 साल निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक राज0 व डी. डब्ल्यू–2 श्योराज पुत्र लालू जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक के पेश किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य नहीं बुलाना जाहिर करने से जिरह बन्द कर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने बहस की प्रार्थना की।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस वाद मिमो को दोहराते हुए वादी का हिस्सा पृथक कर खाता कायम करवाया जाने की प्रार्थना की।

19.11.2024

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

तनकीवार निर्णयः–

तनकी नं. 1 का निर्णयः–तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2063–66 वाके ग्राम नगर के खाता संख्या 1 के ख. नं. 1757 रकबा 0.06 है0 किस्म गै. मु. चाह, जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा है, का विभाजन करवाकर अलग से खाता कायम करवाना चाहता है।

चूकि उक्त विवादित आराजी की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. चाह है जिसका विभाजन कर अलग से खाता कायम जाना न तो कानून सम्मत है और न ही अनुकुल है। अतः उक्त तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी किया जाता है।

तनकी नं. 2 का निर्णयः–तनकी नं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने अपनी तनकी साबित करने के लिए साक्ष्य डी. डब्ल्यू–1 व डी. डब्ल्यू–2 के अलावा अन्य कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि वादी, विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के हिस्से पर या विवादित आराजी के समीप प्रतिवादीगण की किसी अन्य भूमि पर किसी प्रकार की मजामहत की हो। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

आदेश

तनकीवार निर्णय विवेचन से वाद विधि विरूद्ध व कानून सम्मत नहीं से वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 19.11.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

उनवानी दावाः–

प्रकाशचंद्र पुत्र नाथूलाल जाति खटीक निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–वादी–

बनाम

1. श्योराज पुत्र लालू जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. बजरंगा पुत्र लालू जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. धन्नी पुत्री लालू जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवतो जिला टोंक (राज.)
4. बाबू पुत्री लालू जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. तहसीलदार साहब तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 220 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री शिवजीराम डिडवाडिया अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री भगवान सिंह सोलंकी एवं आलोक कुमार शर्मा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है0 व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

तनकीवार निर्णय विवेचन से वाद विधि विरूद्ध व कानून सम्मत नहीं से वाद खारिज किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 11 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

ओहदा .....

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चा है0 डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner